मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-2

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

मंगलवार, दिनांक 18 जुलाई, 2006 (आषाढ़ 27, 1928)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.31 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. निधन का उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री बंशीलाल, पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री ए.बी.ए. गनी खान चौधरी, पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री प्रमोद महाजन, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा श्री अमोलक चंद छाजेड़, डॉ. टुमनलाल, श्रीमती मायादेवी सालवार तथा 11 जुलाई, 2006 को मुम्बई में हुए बम विस्फोटों में अनेक व्यक्तियों के निधन पर शोकोद्गार व्यक्त किये गये।

वाणिज्यिक कर मंत्री श्री बाबूलाल गौर, नेता प्रतिपक्ष श्रीमती जमुना देवी, सदस्यगण श्री वंशमणि प्रसाद वर्मा, श्री मनमोहन शाह बट्टी, श्री हमीद काजी, डॉ. आई. एम.पी. वर्मा ने भी शोकोद्गार व्यक्त किये।

सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि दी गई एवं शोक संतप्तजन के लिए संवेदना प्रकट की गई।

दिवंगतों के सम्मान में विधानसभा की कार्यवाही पूर्वाह्न 10.52 बजे 10 मिनिट के लिए स्थगित होकर 11.01 बजे पुन: प्रारम्भ हुई।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 7 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 69 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 76 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

3. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) डॉ. सुनीलम, सदस्य ने बैतूल जिले में लाखों चिकनगुनिया के मरीजों को निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराये जाने,

(2) श्री गिरिराज मण्डलोई, सदस्य ने शाजापुर से दुपड़ा सड़क निर्माण का कार्य किये जाने में भ्रष्टाचार होने,

(3) श्री गिरिजा शंकर शर्मा, सदस्य ने होशंगाबाद जिले के इटारसी नगर में संचालित शासकीय विद्यालयों में मनमाने ढंग से विकास शुल्क वसूल करने,

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

(4) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने जिला अस्पताल भिण्ड में मलेरिया किट उपलब्ध नहीं होने के कारण मरीज परेशान होने,

(5) श्री आरिफ अकील, सदस्य ने भोपाल के बैरागढ़ में एक महिला के गले से मंगलसूत्र छीने जाने,

(6) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य ने उज्जैन जिले में सहायक शिक्षकों को वेतन न मिलने,

(7) श्री रामदास उइके, सदस्य ने छिंदवाड़ा जिले के ग्राम पंचायत चार गांव के पूर्व सरपंच द्वारा अनियमितता किये जाने तथा,

(8) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य ने रीवा जिले के अन्तर्गत संभाग क्रं.-1 के उपसंभाग हनुमना-बहरी मार्ग की हालत जर्जर होने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत की.

4. अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार निम्नलिखित अध्यादेशों को पटल पर रखा :-

(1) मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अध्यादेश, 2006 (क्रमांक 1 सन् 2006),

(2) मध्यप्रदेश होटल तथा वास गृहों में विलास वस्तुओं पर कर (संशोधन) अध्यादेश, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2006),

(3) मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) अध्यादेश, 2006 (क्रमांक 3 सन् 2006),

(4) मध्यप्रदेश निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता (संशोधन) अध्यादेश, 2006 (क्रमांक 4 सन् 2006) ;तथा

(5) मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अध्यादेश, 2006 (क्रमांक 5 सन् 2006).

5. फरवरी-अप्रैल, 2006 सत्र निर्धारित अवधि से पूर्व स्थगित हो जाने के फलस्वरूप शेष दिनांकों के प्रश्नोत्तरों का संकलन तथा इसी सत्र के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.

उपाध्यक्ष महोदय ने फरवरी-अप्रैल, 2006 सत्र निर्धारित अवधि से पूर्व स्थगित हो जाने के फलस्वरूप शेष दिनांकों के प्रश्नोत्तरों का संकलन तथा इसी सत्र के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन पटल पर रखे जाने की घोषणा की।

6. नियम 267-क के अधीन फरवरी-अप्रैल, 2006 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.

उपाध्यक्ष महोदय ने नियम 267-क के अधीन फरवरी-अप्रैल, 2006 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखे जाने की घोषणा की।

7. महामहिम राष्ट्रपति/राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि विधान सभा के विगत सत्र में पारित निम्नलिखित 8 विधेयकों को महामहिम राष्ट्रपति/राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो गई है :-

(1) मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक,2006(क्रमांक 6 सन् 2006)
(अधिनियम क्रमांक -11 सन् 2006)

(2) मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक-9 सन् 2006)
(अधिनियम क्रमांक 12 सन् 2006)

(3) मध्यप्रदेश मनोरंजन शुल्क तथा विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 2006
(क्रमांक 5 सन् 2006) (अधिनियम क्रमांक 13 सन् 2006)

(4) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय (खण्ड न्यायपीठ को अपील) विधेयक, 2005
(क्रमांक 27 सन् 2005) (अधिनियम क्रमांक 14 सन् 2006)

(5) मध्यप्रदेश चिकित्सीय शिक्षा संस्था (नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2006
(क्रमांक 8 सन् 2006) (अधिनियम क्रमांक 15 सन् 2006)

(6) मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 3 सन् 2006)
(अधिनियम क्रमांक 16 सन् 2006)

(7) मोटरयान (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 28 सन् 2005)
(अधिनियम क्रमांक 17 सन् 2006)

(8) भारतीय पथकर (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 7 सन् 2006)
(अधिनियम क्रमांक 18 सन् 2006)

8. ध्यानाकर्षण

(1) श्री मनोहरलाल राठौर, सदस्य ने हरदा जिले में नकली सोयाबीन बीज कृषकों को दिये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

चौधरी चंद्रभान सिंह, कृषि मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री सज्जन सिंह वर्मा, डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने एड्स नियंत्रण हेतु विश्व बैंक से प्राप्त राशि एड्स पीड़ितों के इलाज में खर्च न किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अजय विश्नोई, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

9. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

उपाध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 172, महिदपुर के सदस्य श्री बहादुर सिंह की ओर से मध्यप्रदेश विधानसभा नियमावली के नियम 277 (1) के अधीन आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने जुलाई, 2006 सत्र में सभा की बैठकों से सभा में अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा चाही है।

अनुज्ञा प्रदान की गई।

10. विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र

उपाध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा क्षेत्र क्रमांक 47- मलेहरा से निर्वाचित सदस्य, सुश्री उमा भारती ने विधान सभा के अपने स्थान से त्याग-पत्र दे दिया है। जिसे अध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 4 मई, 2006 को स्वीकृत कर लिया गया है।

11. सभापति तालिका की घोषणा

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन में घोषणा की गई कि मध्यप्रदेश विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 9 के उप नियम (1) के अधीन, मैं, निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिये नाम निर्दिष्ट करता हूँ :-

(1) श्रीमती सुधा जैन
(2) श्री ज्ञान सिंह
(3) श्री इन्द्रजीत कुमार
(4) डॉ. गोविन्द सिंह
(5) श्री कृष्णकुमार सिंह (भंवर साहब)
(6) श्री लाल सिंह आर्य

12. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्रीमती अलका जैन, सदस्य ने कटनी नगर में -

(क) पालिटेक्निक महाविद्यालय खोले जाने,

(ख) तिलक महाविद्यालय में छात्रावास खोले जाने, तथा

(ग) कटनी जिले के ग्राम बखलेटा के पास पलटुआ नाले पर स्टाप डेम बनाये जाने,

(2) श्री गोविन्द सिंह पटेल, सदस्य ने नरसिंहपुर जिले के -

(क) ग्राम इमलिया पतलोन से पतलोन तक पहुंच मार्ग बनाये जाने,

(ख) ग्राम दिघोरी व मगरमुहा के मध्य नाले पर स्टाप डेम बनाये जाने,

(ग) ग्राम केलकच्छ के पास बंधा नाले पर स्टाप डेम बनाये जाने,

(घ) ग्राम कठोतिया व भमका के मध्य नाले पर रपटा कम स्टाप डेम बनाये जाने,

(ङ) ग्राम साईंखेड़ा स्थित तालाब का पुनर्निर्माण कराये जाने,

(च) ग्राम रिछावर को कटाव से बचाये जाने,

(छ) गाडरवारा-गोटीटोरिया मुख्य मार्ग से चीचली तक पहुंच मार्ग बनाये जाने,

(ज) ग्राम बेलखेड़ी के पास ऊमर नदी पर स्टाप डेम बनाये जाने, तथा

(झ) गाडरवारा रेलवे स्टेशन से ग्राम दहलवाड़ा तक पहुंच मार्ग बनाये जाने,

संबंधी याचिकाएं प्रस्तुत की।

13. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री जगदीश देवड़ा, श्रम मंत्री ने औद्योगिक विवाद (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 10 सन् 2006),

(2) श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 11 सन् 2006); तथा

(3) श्री गंगाराम पटेल, राज्यमंत्री, पंचायत और ग्रामीण विकास ने मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 12 सन् 2006),

सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किये।

12 बजकर 12 मिनिट पर विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 19 जुलाई, 2006 (आषाढ़ 28, 1928) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.